वन विभाग, हरियाणा
आवश्यक सूचना–3
(काष्ठ आधारित उद्योग)

इस कार्यालय द्वारा काष्ठ आधारित उद्योगों से सम्बन्धित "आवश्यक सूचना" दिनांक 05.02.2017 को विभिन्न समाचार पत्रों में जारी की गई थी। जिसके निरन्तर में दिनांक 10.02.2017 को विभिन्न समाचार पत्रों में "आवश्यक सूचना–2" व काष्ठ आधारित उद्योगों से सम्बन्धित "शुद्वि पत्र" भी जारी किया गया था।

उपरोक्त जारी की गई "आवश्यक सूचना" द्वारा यह सूचित किया गया था कि काष्ठ आधारित उद्योगों के सभी श्रेणियों के लिए निश्चित संख्या में लाईसैंस "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर जारी किए जाएंगे। अब इस कार्यालय द्वारा प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों की संख्या को मध्यनजर रखते हुए यह सूचित किया जाता है कि यदि किसी श्रेणी में निर्धारित लाईसैंस संख्या से ज्यादा मात्रा में आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसी अवस्था में उस श्रेणी के लिए निरीक्षण उपरांत पाए गए योग्य आवेदकों को "ड्रा ऑफ लोट्स" के आधार पर लाईसैंस जारी किए जाएंगे।

25/2/2017

मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा–I, एवं सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग,
हरियाणा, वन भवन, सैक्टर–6, पंचकूला